

Ref. No. eAnna/2409/326

Date: 01/09/2024

एक राष्ट्र-एक किसान

ई-अन्नदाता पत्रांक संख्या eAnna/2409/326 ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आवेदित पद सहायक समन्वयक (Assistant Coordinator) हेतु अनिवार्य विस्तृत सूचना/विवरण इस प्रकार है-

1. सहायक समन्वयक के पद के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क 1990/- रु० का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
2. सहायक समन्वयक (असिस्टेंट को-ऑर्डिनेटर) को पूरे जनपद/ब्लॉक में ई-अन्नदाता द्वारा दिए गए कार्यों का पूर्ण रूप से प्रबन्धन करना अनिवार्य होगा।
3. सहायक समन्वयक का चयन विकसित कार्यक्रम- 2047 के अन्तर्गत किसानों को गौरवान्वित महसूस कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
4. अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थियों का चयन मेरिट व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. सत्यापन के समय सहायक समन्वयक को पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र प्रमाण पत्र) तथा शपथ पत्र (नोटरी) मूल कॉपी में देना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड व समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यकता पड़ने पर संलग्न करना होगा।
8. इस पूरे प्रक्रिया में कार्यों के बदलाव, नियम, अनुशासन आदि में बदलाव करने व निरस्त करने के लिए ई-अन्नदाता पूर्णतः सर्वाधिकार सुरक्षित व स्वतंत्र है।
9. इसमें होने वाले किसी भी प्रकार की नुकसान अथवा क्षति के लिए ई-अन्नदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
10. सहायक समन्वयक के चयन हेतु आवेदन पत्रों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। 01 नवम्बर से 16 नवम्बर तक चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
11. योग्यता- स्नातक या समकक्ष।
12. आयु सीमा- सहायक समन्वयक की निर्धारित आयु 18 से 45 वर्ष (सामान्य वर्ग) मान्य है तथा ओ०बी०सी० आवेदकों के लिए 3 वर्ष तथा एस०सी०/एस०टी० वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। सभी अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट होगी। (जिसकी गणना 31 अगस्त 2024 से की जायेगी)
13. मानदेय- 22,500-40,000 रु० (कार्य के अनुसार)
14. अभ्यर्थियों को प्रथमतः 11 माह के लिए नियुक्त किया जायेगा। इसके उपरांत उनके कार्य प्रगति को देखकर वर्ष 2047 तक प्रतिवर्ष 11 माह के लिए उनका कार्य विस्तार किया जाता रहेगा।
15. यदि कोई अभ्यर्थी ई-अन्नदाता के किसी पदाधिकारी व कर्मचारी के प्रति दुर्व्यवहार करता है, दिशा निर्देश का उल्लंघन करता अथवा कार्य में रुकावट डालता है तो उनको बिना पूर्व सूचना के निलंबित करने का अधिकार ई-अन्नदाता के पास सुरक्षित होगा।
16. सहायक समन्वयक (Assistant Coordinator) को जनपद स्तर पर कृषि सहायकों का मार्गदर्शन करेगा। इसके साथ ही ई-अन्नदाता द्वारा निर्धारित कार्यों को भी पूर्ण करना अनिवार्य होगा, जिसका भुगतान अतिरिक्त किया जायेगा।
17. चयन प्रक्रिया के लिए मेरिट लिस्ट व साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
18. 17 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा।
19. 01 दिसम्बर से चयनित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों का मूल कापी रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किया जाएगा और भौतिक सत्यापन कर कार्य प्रारम्भ की स्वीकृती दी जाएगी।

“गौरवान्वित किसान- विकसित भारत”

विजन- 2047

20. सहायक समन्वयक के लिए ई-अन्नदाता द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।
21. चयन के पश्चात् सहायक समन्वयकों को प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण लेना अनिवार्य होगा जो ASCI कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही मान्य होगा।
22. चयन के पश्चात् सहायक समन्वयकों को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर का प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा जो ASCI कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ही मान्य होगा।
23. फार्मर वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट प्रोग्रामर का प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण आवेदित पद के लिए मान्य होगा जो चयन के पश्चात् प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
24. आवेदन किए जाने से चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इस सम्बन्ध में ई-अन्नदाता के किसी भी पदाधिकारी अथवा कार्यालय के किसी भी कर्मचारी से भौतिक मीटिंग अथवा व्यक्तिगत मिलना व अत्यधिक बातचीत करना स्वीकरणीय (अनुमति) नहीं होगा।
25. कृपया ध्यान दें ई-अन्नदाता के आधिकारिक वेबसाइट www.eAnnadata.in पर पूर्ण रूप भरे गए आवेदन ही मान्य व विचारणीय होंगे।
26. ई-अन्नदाता से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिए हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.eAnnadata.in पर जायें अथवा टोल-फ्री नं०- 1800-208-5254 पर सम्पर्क करें।

①
S R D

